

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठी बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 44/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/आमेट

शहर कर्खे का नाम	आमेट
1. आवेदक का नाम	श्रीमति शान्ता देवी पन्नि चांदमल पितलिया
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम लीककी के आराजी संख्या 1172, 1186, 1188, 1540 / 1040, 1547 / 1188 कुल क्षेत्रफल 1.2100 हैक्टेयर
3. क्षेत्रफल	1.2100 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि आमेट नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 13.04.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि आमेट से गंगापुर जाने वाली सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित हैं एवं सड़क के दोनों तरफ 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित हैं। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में लीककी जाने वाली सड़क गुजर रही है, जिसका मार्गाधिकार 60 फीट है। आवेदित भूमि में से एक नाला गुजर रहा है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 02.07.2015 व संशोधित अधिसूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.07.2015 को 7 दिवसीय प्रकाशित करायी गई थी।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। आवेदित भूमि को परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंसा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर के पत्र दिनांक 26.02.2016 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंसा की गई है।</p>
8. विशेष विवरण:-	<p>प्रश्नगत भूमि के समीप चन्द्रभागा नदी में जाने वाला नाला तथा भराव क्षेत्र प्रतीत होता है। अतः इस संबंध में संबंधित विभाग से रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>प्रस्ताव :- उपरोक्त विशेष विवरण अनुसार प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जाना उचित होगा। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

मंत्री

विशेष विवरण
निदेशालय राजनीय निकाय विभाग
राजस्थान राज्य, उदयपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेण्डा नं. 45/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/उदयपुर

अपील

शहर करबे का नाम	उदयपुर
1. आवेदक का नाम	श्री परविन्दर गम्भीर पिता डा.एम.एस.गम्भीर
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	पोलो ग्राउण्ड सहेली मार्ग पर स्थित भूखण्ड संख्या 16
3. क्षेत्रफल	0.083 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि उदयपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 24.09.2013 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि पोलो ग्राउण्ड सहेली मार्ग पर स्थित हैं, तथा सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट हैं।</p> <p>2. अपीलार्थी के प्रश्नगत भूखण्ड का नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रकाशित कर कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक से प्रकरण में राय प्राप्त कर नगर निगम की भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 03.05.2016 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा फतेहपुर पुलिस चौकी से नगर विकास प्रन्यास कार्यालय चौराहे पर पर्यटकों का आवागमन होने से हेरिटेज लूक प्रभावित हो सकता है। अतः उक्त सड़क पर हेरिटेज लूक एवं सून्दरता को बनाये रखने के लिए व्यावसायिक गतिविधि अनुज्ञय नहीं किया जावेगा, का निर्णय लिया गया एवं अपीलार्थी को दिनांक 03.06.2016 को सूचित किया गया।</p> <p>3. अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च स्तरीय समिति में नियमानुसार अपील करते हुये निवेदन किया है, कि प्रश्नगत भूखण्ड के समीप ही पूर्व में भू-उपयोग परिवर्तन एप्पार्क कमेटी की बैठक संख्या 17 में आस-पास व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये हुये भू-उपयोग परिवर्तन के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं।</p> <p>4. पर्यटन विभाग द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर होटल प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रस्तुत कर अभिशंषा की गयी है।</p> <p>5. अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया है, कि प्रश्नगत भूखण्ड 60 फीट सड़क पर स्थित हैं, तथा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।</p> <p>6. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 27.01.2016 द्वारा भूखण्ड के समीप चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के दृष्टिगत आवेदित भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम भू-उपयोग परिवर्तन समिति में रखकर निर्णय लिए जाने की अभिशंषा की गई है।</p>
9. उपरोक्त तथ्यों, तथा उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा उपायुक्त, नगर निगम, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप आवेदित स्थल शहरकोट में स्थित नहीं होकर शहरकोट से दूर बाहर की तरफ स्थित हैं, तथा भूखण्ड के आसपास पूर्व में भी होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जा चूके हैं। उदयपुर शहर देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र हैं। अतः पर्यटन ईकाई को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसमिति से लिया गया है:-

- आवेदित भूमि पोलो ग्राउण्ड सहेली मार्ग पर स्थित हैं, तथा सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
- वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भवन में, प्रचलित भवन विनियम के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊंचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानचित्रों का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत् Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
- भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्प्ष्टी. वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
- बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

Xhtcm

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की बष्टम बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेण्डा नं.46 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/उदयपुर		अपील
1.	शहर कर्खे का नाम	उदयपुर
2.	आवेदक का नाम	मेसर्स नकुल बिल्डर्स एण्ड डवलर्प्स प्रा.लि.
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	भूखण्ड संख्या 9/254 (117, मोती चौहटा, उदयपुर)
4.	क्षेत्रफल	0.0566 हेक्टेयर
5.	जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.08.2005 द्वारा परिवर्तित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
9.	प्रकरण के तथ्य :- 1. प्रश्नगत भूखण्ड का जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.08.2005 में आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया था। 2. अपीलार्थी द्वारा अपील कर निवेदन किया गया है, कि प्रार्थी से नियम विरुद्ध राशि की गणना कर 26,84,000/- की राशि की आरोपित कर दी गयी है। इसके संबंध में प्रार्थी द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं:- • प्रार्थी की सम्पत्ति के दस्तावेज 1946 के हैं, जो कि फी होल्ड प्रोपर्टी हैं, तथा पूर्व में वर्षों से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। • यह कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 173 के (1) के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति किसी स्थानीय निकाय द्वारा आंवटित/विक्रित नहीं हैं, तो उस पर कोई भी स्थानीय निकाय भू-उपयोग परिवर्तन राशि की मांग नहीं कर सकता है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल स्पेशल अपील नम्बर 1109/1999 के निर्णय दिनांक 23.05.2005 तथा इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील नम्बर 24912/2005 के निर्णय दिनांक 20.11.2007 की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें भी धारा 173 के (1) के अनुसार ऐसी सम्पत्तियों पर व्यावसायिक परिवर्तन शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में अपील कर नगर परिषद/निगम के उक्त डिमांड नोट को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।	प्रकरण के तथ्य :- 1. प्रश्नगत भूखण्ड का जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.08.2005 में आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया था। 2. अपीलार्थी द्वारा अपील कर निवेदन किया गया है, कि प्रार्थी से नियम विरुद्ध राशि की गणना कर 26,84,000/- की राशि की आरोपित कर दी गयी है। इसके संबंध में प्रार्थी द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं:- • प्रार्थी की सम्पत्ति के दस्तावेज 1946 के हैं, जो कि फी होल्ड प्रोपर्टी हैं, तथा पूर्व में वर्षों से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। • यह कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 173 के (1) के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति किसी स्थानीय निकाय द्वारा आंवटित/विक्रित नहीं हैं, तो उस पर कोई भी स्थानीय निकाय भू-उपयोग परिवर्तन राशि की मांग नहीं कर सकता है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल स्पेशल अपील नम्बर 1109/1999 के निर्णय दिनांक 23.05.2005 तथा इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील नम्बर 24912/2005 के निर्णय दिनांक 20.11.2007 की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें भी धारा 173 के (1) के अनुसार ऐसी सम्पत्तियों पर व्यावसायिक परिवर्तन शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में अपील कर नगर परिषद/निगम के उक्त डिमांड नोट को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।
9.	उपरोक्त तथ्यों के साथ प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया त उथा बैठक में उपस्थित उपायुक्त, नगर निगम, उदयपुर एवं अन्य समस्त अधिकारीगण द्वारा अवगत कराया गया, कि समस्त प्रकार की भूमियों का भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क नियमानुसार लिया जाना अपेक्षित है, तदनुसार ही डिमांड नोट लिया जाता है। अतः प्रकरण में स्थानीय स्तर पर प्रार्थी से भू-उपयोग परिवर्तन का शुल्क लिये जाने हेतु उदयपुर नगर निगम स्तर पर निकाय द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशीत किया गया।

विरिष्ट नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान राज्य, जयपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की षष्ठ्म बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेंडा नं. 47 / डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/छोटी सादडी

शहर कर्वे का नाम	छोटी सादडी
1. आवेदक का नाम	1.श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबू लाल पाटीदार, 2.दिलीप कुमार पुत्र ओंकार लाल पाटीदार 3.अशोक कुमार पुत्र रामलाल बलाई एवं कन्हैया लाल पुत्र श्री खूबचन्द जटिया, 4.श्री रोहित कुमार, राहुल कुमार पुत्र श्री दिलीप कुमार पाटीदार
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मध्य ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम छोटी सादडी के (1)खसरा नं 666 कुल रकबा 0.18 है,, (2.)खसरा नं. 671 / 2716 रकबा 0.37 है,, (3.)ख.नं. 667 रकबा 0.29 है,, (4.)ख.नं. 666 / 2576 रकबा 0.10 है। कुल रकबा 0.94 है।
3. क्षेत्रफल	0.94 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड युज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमियों छोटी सादडी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 विनांक 19.03.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि छोटी सादडी से बड़ी सादडी को जाने वाली सड़क पर रिथित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है उत्तर दिशा में राजस्व रास्ता दर्शित है, जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है, परिचम दिशा में एक राजस्व रास्ता दर्शित है, जिसका मार्गाधिकार 40 फीट प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंखा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 09.10.2015 व दिनांक 15.12.2015 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंखा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंखा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>1. आवेदित भूमि छोटी सादडी से बड़ी सादडी को जाने वाली सड़क पर रिथित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है उत्तर दिशा में राजस्व रास्ता दर्शित है, जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है, परिचम दिशा में एक राजस्व रास्ता दर्शित है, जिसका मार्गाधिकार 40 फीट प्रस्तावित है। अतः 100 फीट सड़क के मध्य से 50 फीट व 60 फीट सड़क के मध्य से 30 फीट एवं 40 फीट सड़क के मध्य से 20 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।</p> <p>2. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।</p> <p>3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी. वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।</p> <p>4. योजना का क्षेत्रफल 2 है। से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।</p> <p>5. योजना में ठोस कंचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कंचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।</p> <p>6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय प्रिवाय
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बष्टम बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 48 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/छोटी सादडी

शहर करबे का नाम	छोटी सादडी
1. आवेदक का नाम	श्री तजम्मुल हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद अली बोहरा
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं. 1460 एवं 1462 कुल रक्बा 1.38 हैं।
3. क्षेत्रफल	1.38 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, छोटी सादडी के अनुसार वैद्य है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि छोटी सादडी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 19.03.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि को ग्रामीण रास्तों से दो पहुच मार्ग उपलब्ध हैं। जिनका मार्गाधिकार 60-60 फीट चोड़े प्रस्तावित किये गये हैं।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, छोटी सादडी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों दैनिकभास्कर व राजस्वान पत्रिका में दिनांक 16.01.2016 को प्रकाशित करायी गई। निधारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, छोटी सादडी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशासा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 25.02.2016 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशासा की गई है।</p>
9	<p>प्रस्ताव :-</p> <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय विधिक नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशासा के परिषेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जान, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी की अभिशासा के अनुरूप नगरीय निकाय की आय परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थल के आसपास हो रहे विकास को सुनियोजित ढंग से नियंत्रित किये जाने एवं आवास की आवश्यकता के दृष्टिगत परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

- आवेदित भूमि को ग्रामीण रास्तों से दो पहुच मार्ग उपलब्ध है। जिनका मार्गाधिकार 60-60 फीट चोड़े प्रस्तावित किये गये हैं। अतः दोनों सड़कों के मध्य से 30 फीट में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
- योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुसूदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
- योजना में आन्तरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी_वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
- योजना का क्षेत्रफल 1 है. से अधिक किन्तु 2 है. से कम है। अतः शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 300 वर्गमीटर भूमि नगर निकाय के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। इस भूमि पर निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से ऐन बरेंगा का निर्माण किया जावेगा। योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार 2 है. से कम की स्वतंत्र आवासीय योजना में सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा कराई जानी होगी। चुंकि योजना में प्रार्थी से 300 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ऐन बरेंगा हेतु छुड़वाई जा रही है। अतः 10 प्रतिशत भूमि में से 300 वर्गमीटर भूमि के क्षेत्रफल को घटाते हुये शेष भूमि की ही राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
- योजना में ठोस कवरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कवरा संप्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिंग एवं ऐन वाटर हार्डिस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- भौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभ.
राजस्वान सरकार, जयपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेण्डा नं. 49/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/झूँगरपुर

शहर कर्से का नाम	झूँगरपुर
1. आवेदक का नाम	श्रीमति जमना देवी पत्नि श्री बाबुलाल भील
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नवाडेरा के खसरा नं. 900/1, 901, 902/1व 904 कुल रखवा 1 बीघा 4 बिस्वा (11,018वर्ग फीट)
3. क्षेत्रफल	0.1023 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006 Ext- 2016)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगरपरिषद, झूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि झूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2016 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि झूँगरपुर से रत्नपुर रोड को जोड़ने वाली ग्रामीण रोड पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है।</p> <p>2. आयुक्त नगरपरिषद, झूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिकनवज्योति में दिनांक 13.06.2015 को प्रकाशित करायी गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, झूँगरपुर ने प्रपत्र भाग "ब" परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्पष्ट अभिशंषा की गयी है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 23.12.2015 द्वारा आवेदित भूमि को परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गयी है।</p>
8.	<p>प्रस्ताव :- उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिषेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि / 3 / 2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जान, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर परिषद, झूँगरपुर की अभिशंषा के अनुरूप झूँगरपुर नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2006, वर्ष 2016 तक प्रभावी हैं, नया मास्टर प्लान प्रक्रियाधीन हैं। नगर का विकास एवं विस्तार पुराने मास्टर प्लान में दर्शित परिधि क्षेत्र में हो रहा है। अतः इस विकास एवं विस्तार को सुनियोजित रूप से नियन्त्रित किये जाने के दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

1. आवेदित भूमि झूँगरपुर से रत्नपुर रोड को जोड़ने वाली ग्रामीण रोड पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानविक्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी.वि. अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा नियमानुसार कराया जाना होगा।
4. योजना का क्षेत्रफल 2 है। से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
5. योजना में ठोस कवरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कवरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिंग एवं रैन वाटर हार्डिस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

X/21/2016

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्वान सरकार, जयपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की षष्ठ्म बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेण्डा नं. 50 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डॉगरपुर

शहर कर्से का नाम	डॉगरपुर
1. आवेदक का नाम	श्री जीवा पुत्र श्री बदा मीणा
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम भाटपुर के खसरा नं. 422 कुल रक्षा 01-14-00 बीघा में से 1963.55 वर्गगज।
3. क्षेत्रफल	0.1642 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड ग्रूज प्लान (2006 Ext- 2016)" में दर्शाया उपयोग	अन्य शैक्षणिक संस्थान।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-उपयोग की स्थिति	आयुक्त, नगरपरिषद, डॉगरपुर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि डॉगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2016 में अन्य शैक्षणिक संस्थान दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि डॉगरपुर से ग्रामीण आबादी को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। जिसका मार्गांधिकार 40 फीट प्रस्तावित है।</p> <p>2. आयुक्त नगरपरिषद, डॉगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र उदयपुर एक्सप्रेस में दिनांक 28.04.2015 को प्रकाशित करायी गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, डॉगरपुर ने प्रपत्र भाग "ब" के द्वारा अन्य शैक्षणिक संस्थान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्पष्ट अभिशंषा की गयी है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 27.11.2015 द्वारा आवेदित भूमि को अन्य शैक्षणिक संस्थान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गयी है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय विकास के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का अन्य शैक्षणिक संस्थान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जान, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर परिषद, डॉगरपुर की अभिशंषा के अनुरूप डॉगरपुर नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2006, वर्ष 2016 तक प्रभावी हैं, नया मास्टर प्लान प्रक्रियाधीन हैं। नगर का विकास एवं विस्तार पुराने मास्टर प्लान में नगर की आवश्यकता अनुसार विकसित हो रहा है। अतः इस विकास एवं विस्तार को सुनियोजित रूप से नियन्त्रित किये जाने के दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत भूमि का अन्य शैक्षणिक संस्थान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

1. आवेदित भूमि डॉगरपुर से ग्रामीण आबादी को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। जिसका मार्गांधिकार 40 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 20 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.सपष्टी_वि.अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा नियमानुसार देय समर्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
4. योजना का क्षेत्रफल 2 है। से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विकाय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
5. योजना में ठोस कवरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कवरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिंग एवं रैन वाटर हार्डिस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समर्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. भौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्वान वर्कार, जयपुर

एजेण्डा नं. 51 / डीएलबी / एसटीपी / यूडीजेड / डॅगरपुर

शहर करबे का नाम	डूंगरपुर
1. आवेदक का नाम	श्री कमलेश पुत्र श्री भाणा मीणा
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजरच ग्राम भाटपुर के आराजी नं. 991 / 572 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नं. 992 / 930 / 575 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा (17424 वर्गफीट)
3. क्षेत्रफल	0.1619 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006 Ext-2016)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगरपरिषद, डूंगरपुर. के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2016 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि डूंगरपुर से ग्रामीण बस्ती को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फौट प्रस्तावित है।</p> <p>2. आयुक्त नगरपरिषद, डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 13.06.2015 को प्रकाशित करायी गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर ने प्रपत्र भाग "ब" परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्पष्ट अभिशंसा की गयी है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 08.10.2015 द्वारा आवेदित भूमि को परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंसा की गयी है।</p>
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंसा के परिवेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयाधीन प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर की अभिशंसा के अनुरूप डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान—2006, वर्ष 2016 तक प्रभावी हैं, नया मास्टर प्लान प्रक्रियाधीन हैं। नगर का विकास एवं विस्तार पुराने मास्टर प्लान में दर्शित परिधि क्षेत्र में हो रहा है। अतः इस विकास एवं विस्तार को सुनियोजित रूप से नियन्त्रित किये जाने के दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैं:-

- आवेदक भूमि हँगरपुर से ग्रामीण बस्ती को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निशुल्क समर्पित की जानी होगी।
 - योजना के अन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार अन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानविकों का अनुमादन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
 - योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निर्देशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/ठीएलबी/सा.सम्ब॒. वि. राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage खेत्र में वृद्धि हो सके।
 - योजना का क्षेत्रफल 2 है। से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
 - योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलंग एवं रैन वाटर हार्डिस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
 - नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
 - मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
 - उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :— समिति का निर्णय अनुमोदित।

XHTSN

वरिष्ठ नगर नियोजक निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान रस्कार्ड जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेंडा नं. 52 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डॉगरपुर

शहर कर्से का नाम	डॉगरपुर
1. आवेदक का नाम	श्री गोपाल रविप्रकाश पुत्र श्री गणेश लाल, महेश चन्द्र रमेशचन्द्र पुत्र श्री गिरधर लाल
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम डॉगरपुर के आराजी नं. 328, 1283, 1600/329, 1601/329, 325, 326, 330/1, 322/1, 324, 327/1 तथा राजस्व ग्राम नवाड़ेरा के आराजी नं. 1007, 1009 से 1015, 1018, 1019 व 1028 कुल रक्खा 8 बीघा 17 बिस्वा (154202.4 वर्गफीट) में से 151588.8 वर्ग फीट
3. क्षेत्रफल	1.4083 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006 Ext-2016)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगरपरिषद, डॉगरपुर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि डॉगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2016 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि डॉगरपुर से अहमदाबाद जाने वाली सड़क को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। प्रश्नगत भूमि के मध्य से नाला (नहर) गुजर रहा है। जो आराजी सं. 327/1 की जल आवक क्षेत्र (नहर) में आने वाली 3 बिस्वा भूमि को छोड़कर शेष 8 बीघा 14 बिस्वा भूमिका भू-उपयोग के परिवर्तन की उपनगर नियोजक उदयपुर में अभिशंषा की है।</p> <p>2. आयुक्त नगरपरिषद, डॉगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्ञोति में दिनांक 13.06.2015 को प्रकाशित करायी गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, डॉगरपुर ने प्रपत्र भाग "ब" परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्पष्ट अभिशंषा की गयी है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 04.03.2016 द्वारा आवेदित भूमि को परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गयी है।</p>
8. विशेष विवरण:-	<p>आवेदित स्थल के मध्य में से गुजर रहे नाले को संबंधित विभाग राजस्व अथवा सिंचाई विभाग से राय ली जाकर नाले के दोनों तरफ नियमानुसार बफर जोन छोड़ा जाना होगा। जिसमें केवल वृक्षारोपण अथवा पार्क ही विकसित किये जावेंगे।</p> <p>प्रस्ताव :-</p> <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष में तथा नगरीय विकास विभाग के आवेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर परिषद, डॉगरपुर की अभिशंषा के अनुरूप डॉगरपुर नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2006, वर्ष 2016 तक प्रभावी हैं, नया मास्टर प्लान प्रक्रियाधीन हैं। नगर का विकास एवं विस्तार पुराने मास्टर प्लान में दर्शित परिधि क्षेत्र में हो रहा है। अतः इस विकास एवं विस्तार को सुनियोजित रूप से नियन्त्रित किये जाने के दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

- आवेदित भूमि डॉगरपुर से अहमदाबाद जाने वाली सड़क को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। प्रश्नगत भूमि के मध्य से नाला (नहर) गुजर रहा है। जो आराजी सं. 327/1 की जल आवक क्षेत्र (नहर) में आने वाली 3 बिस्वा भूमि को छोड़कर शेष 8 बीघा 14 बिस्वा भूमिका भू-उपयोग के परिवर्तन की उपनगर उदयपुर में अभिशंषा की है। अतः 30 फीट सड़क के मध्य से आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
- आवेदित स्थल के मध्य में से गुजर रहे नाले को संबंधित विभाग राजस्व अथवा सिंचाई विभाग से राय ली जाकर नाले के दोनों तरफ नियमानुसार बफर जोन छोड़ा जाना होगा। जिसमें केवल वृक्षारोपण अथवा पार्क ही विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।
- योजना के आत्मरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आत्मरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानविकों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
- योजना में आत्मरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी.ऋपि. अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी.ऋपि. अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा नियमानुसार अनुसार 2 है।

राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वरिष्ठ नगर नियन्त्रित हो सके।

5. योजना का क्षेत्रफल 1 है, से अधिक किन्तु 2 है, से कम है। अतः शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को निदेशालय नियन्त्रित आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 300 वर्गमीटर भूमि नगर निकाय के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। इस भूमि पर निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से ऐन बसेरा का निर्माण किया जावेगा। योजना का क्षेत्रफल 2 है, से कम है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार 2 है। जावेगा। योजना के स्वतंत्र आवासीय योजना में सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि की राशि से कम की स्वतंत्र आवासीय योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि की राशि

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बष्टम बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

निकाय में जमा कराई जानी होगी। चुंकि योजना में प्रार्थी से 300 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क रैन बसेरा हेतु छुड़वाई जा रही है। अतः 10 प्रतिशत भूमि में से 300 वर्गमीटर भूमि के क्षैत्रफल को घटाते हुये शेष भूमि की ही राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।

6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता को दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हॉर्सिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।

7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।

8. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

S. Hartman

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय, ग्राम
राजस्वान चरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बष्टम बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 53 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

शहर कर्बे का नाम	डूँगरपुर
1. आवेदक का नाम	श्री देवी लाल पुत्र श्री प्रभु लाल रोत
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मध्य ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बिलडी के आराजी नं. 114/2, रकबा 4 विस्वा, आराजी नं. 116 रकबा 14 विस्वा कुल रकबा 18 विस्वा (15681.6 वर्गफीट) 1742.4 वर्गगज
3. क्षेत्रफल	0.1457 हेक्टर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006 Ext-2016)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगरपरिषद, डूँगरपुर, के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2016 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि डूँगरपुर से सागवाड़ा जाने वाली सड़क को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गांकिकार 60 फीट प्रस्तावित है।</p> <p>2. आयुक्त नगरपरिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्ञोति में दिनांक 20.03.2014 को प्रकाशित करायी गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर ने प्रपत्र भाग "A" में परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्पष्ट अभिशंषा की गयी है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 11.03.2016 द्वारा आवेदित भूमि को परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गयी है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिषेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर की अभिशंषा के अनुरूप डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2006, वर्ष 2016 तक प्रभावी हैं, नया मास्टर प्लान प्रक्रियाधीन हैं। नगर का विकास एवं विस्तार पुराने मास्टर प्लान में दर्शित परिधि क्षेत्र में हो रहा है। अतः इस विकास एवं विस्तार को सुनियोजित रूप से नियन्त्रित किये जाने के दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

1. आवेदित भूमि डूँगरपुर से सागवाड़ा जाने वाली सड़क को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गांकिकार 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. योजना के आन्तरिक विकास को समस्त जिमेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुसोदन टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आन्तरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59./एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी.वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
4. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं रैन वाटर हार्डिंग स्ट्रॉक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

८/२५१

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्वान भविल, जयपुर

एजेण्डा नं. 54 / डीएलबी / एसटीपी / यूडीजेड / बड़ी सादड़ी

	शहर कर्खे का नाम	बड़ी सादड़ी
1.	आवेदक का नाम	नगरपालिका बड़ी सादड़ी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बड़ी सादड़ी के खसरा नं. 2137 रकबा 0.97 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.97 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आमोद-प्रमोद (बाग व खुले स्थल)
5.	प्रस्तावित भू-उपयोग	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (महाविद्यालय)
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि बड़ी सादड़ी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आमोद-प्रमोद (बाग व खुले स्थल) दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 31.12.2013 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि बड़ी सादड़ी से नीमच जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि के पास उत्तर दिशा में पानी का नाला गुजर रहा है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी द्वारा नियमानुसार सांवर्जनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 06.02.2016 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी द्वारा आमोद-प्रमोद (बाग व खुले स्थल) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (महाविद्यालय) भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंसा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 21.03.2016 में कतिपय शर्तों के अध्यीन आवेदित भूमि का आमोद-प्रमोद (बाग व खुले स्थल) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (महाविद्यालय) भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंसा की गई है।</p>
8.	विशेष विवरण:-	आवेदित स्थल के उत्तर दिशा में गुजर रहे नाले को संबंधित विभाग राजस्व अथवा सिंचाई विभाग से राय ली जाकर नाले पर नियमानुसार बफर जोन छोड़ा जाना होगा। जिसमें केवल वृक्षारोपण अथवा पार्क ही विकसित किये जावें।
	प्रस्ताव :-	उपरोक्त विन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंसा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का आमोद-प्रमोद (बाग व खुले स्थल) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (महाविद्यालय) भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी की अभिशंखा के अनुरूप नगर में उच्च शिक्षा की आवश्यकता तथा पहुंच मार्ग की सुगम्यता के दृष्टिगत आमोद-प्रमोद (बाग व खुले स्थल) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थी (महाविद्यालय) भु-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

- आवेदित भूमि जहाजपुर-देवली जाने वाली मुख्य सड़क से लगभग 300 फीट अन्दर की तरफ नगर पालिका द्वारा निर्मित 30 फीट सड़क पर स्थित है जिसको आवेदक द्वारा नियमानुसार 60 फीट चौड़ी सड़क किये जाने हेतु सड़क सीमा में आने वाली आवेदित भूमि को निःशुल्क समर्पित किये जाने बाबत सहमति प्रदान करने की सुनिश्चितता की जानी होगी। अतः रास्ते के मध्य से 30 फीट की दूरी में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
 - संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवन में, प्रचलित भवन विनियम के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊँचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानचित्रों का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
 - भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी. वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
 - बाँयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
 - मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
 - उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

६. उपरायता समन्वय द्वारा प्रयोग की गई अनुमोदित।

charts A

बरिष्ठ नगर नियोजक निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सेरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 55 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/देवगढ़

शहर करवे का नाम	देवगढ़
1. आवेदक का नाम	श्री बाबूलाल पुत्र श्री मांगीलाल दक
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम देवगढ़ के खसरा नं. 1593/3 रक्खा 00-02-14 बीघा
3. क्षेत्रफल	0.0292 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2032)" में दर्शाया उपयोग	अन्य जन उपयोगी सुविधाओं
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि देवगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2032 में अन्य जन उपयोगी सुविधाये दर्शित है। मास्टर प्लान-2032 दिनांक 12.07.2010 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि देवगढ़ से कामलीघाट को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 120 फीट है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा नियमानुसार सर्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 25.11.2015 एवं शुद्ध आपत्ति सूचना दिनांक 30.01.2016 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा अन्य जन उपयोगी सुविधाओं से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 03.05.2016 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का अन्य जन उपयोगी सुविधाओं से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का अन्य जन उपयोगी सुविधाओं से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जौन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ की अभिशंषा के अनुरूप अन्य जन उपयोगी सुविधाओं क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसमति से लिया गया है:-

1. आवेदित भूमि देवगढ़ से कामलीघाट को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 120 फीट है। अतः सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी.वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
3. भूमि का क्षेत्रफल 2 है, से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रॉक्यूर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :-

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा पार्क, खुले स्थल खेल के मैदान, सामुदायिक सुविधाएं मय राजकीय/अर्द्धराजकीय कार्यालयों हेतु भू-उपयोगों का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अतः नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की समितियों के निर्णयों में एकरूपता रखे जाने की दृष्टि से उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अनुमोदन पर विचार नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 56 / डीएलबी / एसटीपी / यूडीजेड / देवगढ़

शहर करबे का नाम	देवगढ़
1. आवेदक का नाम	श्री अमित कुमार हटीला पुत्र श्री नेमीचन्द, श्रीमती चन्दा पत्नि श्री अमित कुमार हटीला , श्री भैरवलाल पुत्र श्री सोहनलाल शर्मा, श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल दलाल, श्री भैरवलाल पुत्र श्री चन्दन मल जैन एवं श्री हनीफ मोहम्मद पुत्र श्री रहीमबक्ष
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम देवगढ़ के खसरा नं. 283/1 रक्खा 08-00-00 बीघा
3. क्षेत्रफल	1.7285 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2032)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि देवगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2032 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2032 दिनांक 12.07.2010 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग के लिए राजस्व रारता उपलब्ध है जिसका मार्गाधिकार 60 फीट है। उत्तर दिशा में राजस्व रारते का मार्गाधिकार मकानात बने होने के कारण 40 फीट प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 25.06.2015 एवं शुद्ध आपत्ति सूचना दिनांक 18.12.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंखा भाग 'ब' में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 26.02.2016 में कतिपय शर्तों के अध्यीन आवेदित भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंखा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंखा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा ऐजेंडा का अदलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ की अभिशंसा के अनुरूप नगरीय निकाय की आय परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थल के आसपास हो रहे विकास को सुनियोजित ढंग से नियंत्रित किये जाने एवं आवास की आवश्यकता के दृष्टिगत परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

- ज्यावाणी राजस्तान का राजनीति

 - आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग के लिए राजस्व रास्ता उपलब्ध है जिसका मार्गाधिकार 60 फीट है। उत्तर दिशा में राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार मकानात बने होने के कारण 40 फीट प्रस्तावित किया गया है। अतः 20 फीट सड़क के मध्य से आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निशुल्क समर्पित की जानी होगी।
 - योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानविकों का अनुमादन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
 - योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निवेशालय के आदेश क्रमाक एफ.59/एसटीपी/ठीएलबी/सा.स्पष्टी. वि. राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
 - योजना का क्षेत्रफल 1 है। से अधिक किन्तु 2 है। से कम है। अतः शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 300 वर्गमीटर भूमि नगर निकाय के हक में निशुल्क समर्पित की जानी होगी। इस भूमि पर निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रैन बर्सेरा का निर्माण किया जावेगा। योजना का क्षेत्रफल 2 है। से कम है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार 2 है। से कम की स्वतंत्र आवासीय योजना में सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा कराई जानी होगी। चुंकि योजना में प्रार्थी से 300 वर्गमीटर भूमि निशुल्क रैन बर्सेरा हेतु छुड़वाई जा रही है। अतः 10 प्रतिशत भूमि में से 300 वर्गमीटर भूमि के क्षेत्रफल को घटाते हुये शेष भूमि की ही राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
 - योजना में ठास कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हॉर्सिस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
 - नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
 - मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
 - उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय: — समिति का निर्णय अनुमोदित।

**Barish Nagar Niyojak
Nidhanalay Swatantrya Nikaay
Rajya Vidhan Sabha, Uppar**

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेण्डा नं. 57 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/देवगढ़

शहर कर्से का नाम	देवगढ़
1. आवेदक का नाम	श्री नेनालाल पुत्र श्री जीवा जी
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम तनाजा चेता आसन के खसरा नं. 66/8, 25/8
3. क्षेत्रफल	0.3160 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2032)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि देवगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2032 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2032 दिनांक 12.07.2010 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। सड़क सीमा के बाद मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार 100 फीट की दूरी तक वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 04.07.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 08.10.2015 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हुई है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ की अभिशंषा के अनुरूप नगरीय निकाय की आय परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थल के आसपास हो रहे विकास को सुनियोजित ढंग से नियंत्रित किये जाने एवं आवास की आवश्यकता के दृष्टिगत परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सार्वसम्मति से लिया गया है:-

- आवेदित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। सड़क सीमा के बाद मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार 100 फीट की दूरी तक वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित है। अतः सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी, तथा वृक्षारोपण पट्टी हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/03/2010/पार्ट-।। दिनांक 25.03.2013 अनुसार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
- योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.सपटी. वि. राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
- योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रिय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
- योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की रिस्ति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं रैन वाटर हार्वरिस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्वान सारकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 58/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/देवगढ़

शहर करवे का नाम	देवगढ़
1. आवेदक का नाम	श्री नेनालाल पुत्र श्री जीवा जी
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम विजयपुरा के खसरा नं. 240
3. क्षेत्रफल	0.0648 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2032)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रस्तावित भूमि देवगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2032 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2032 दिनांक 12.07.2010 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि व मुख्य सड़क के मध्य रूपान्तरित भूमि में छुडवाई गई 30 फीट चौड़ी सड़क से आवेदित भूमि के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। अधिशासी अधिकारी की चैक लिस्ट के अनुसार सड़क की चौड़ाई 40 फीट है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 24.01.2014 को प्रकाशित कराई गई। निधारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 16.08.2014 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जौन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ की अभिशंषा के अनुरूप नगरीय निकाय की आय परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थल के आसपास हो रहे विकास को सुनियोजित ढंग से नियंत्रित किये जाने एवं आवास की आवश्यकता के दृष्टिगत परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

- आवेदित आवेदित भूमि व मुख्य सड़क के मध्य रूपान्तरित भूमि में छुडवाई गई 30 फीट चौड़ी सड़क से आवेदित भूमि के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। अधिशासी अधिकारी की चैक लिस्ट के अनुसार सड़क की चौड़ाई 40 फीट है। अतः सड़क के मध्य से 20 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
- योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुसादन टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
- योजना में आतंरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी_वि. राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
- योजना का क्षेत्रफल 2 है से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
- योजना में ठोस करवा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा करवा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं रैन वाटर हार्डिस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय दिनांग
राजस्वान सरकार, जयपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेण्डा नं. 59/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/नाथद्वारा

शहर कर्चे का नाम	नाथद्वारा
1. आवेदक का नाम	श्री लक्ष्मण पुत्र श्री अमरा ब्राह्मण
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम उपली ओड़न के खसरा नं. 2490 / 644 कुल रकबा 02-03-00 बीघा क्षेत्रफल (6503.75 वर्गगज)
3. क्षेत्रफल	0.5438 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 22.11.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि के दो तरफ से पहुंच मार्ग उपलब्ध है। उत्तर दिशा में सड़क का मार्ग 120 फीट व परिवेश दिशा की सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र में दिनांक 12.12.2015 को प्रकाशित करायी गई। निर्धारित समयावधि में आपत्ति के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 13.04.2016 द्वारा आवेदित भूमि का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
9. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा की अभिशंषा के अनुरूप नाथद्वारा नगर के धार्मिक महत्व एवं भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के आवागमन से नगर में Economic Services/Infrastructure की आवश्यकता के दृष्टिगत आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

- आवेदित भूमि के दो तरफ से पहुंच मार्ग उपलब्ध है। उत्तर दिशा में सड़क का मार्ग 120 फीट व परिवेश दिशा की सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। अतः 120 फीट चौड़ी सड़क के मध्य से 60 फीट तथा 60 फीट चौड़ी सड़क के मध्य स 30 फीट की दूरी में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
- व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन में, प्रवलित भवन विनियम के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊँचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानविक्री का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
- भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी. वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
- बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्ताहित किया जावेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय प्रिमा.
राज्यान्वय सरकार जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेंडा नं. 60 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/नाथद्वारा

शहर कर्से का नाम	नाथद्वारा
1. आवेदक का नाम	श्री केशलाल पुत्र श्री परता मीणा, श्री दिलीप पुत्र श्री आलाराम मीणा एवं श्री दोलतराम पुत्र श्री हीरालाल भील
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मध्य ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम उपली ओडन के खसरा नं. 945 से 968, 2901/957, 2902/952, 2903/957 रकबा 12-08-00 बीघा
3. क्षेत्रफल	3.1363 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैद्य है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 22.11.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि नाथद्वारा से बास्तोल जाने वाली सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 80 फीट प्रस्तावित है। परन्तु पूर्व में 100 फीट मार्गाधिकार अनुसार राय प्रेषित किये जाने के कारण मार्गाधिकार 100 फीट रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में दिनांक 21.08.2014 को प्रकाशित करायी गई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 22.04.2016 द्वारा आवेदित भूमि का पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया तथा क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जौन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा की अभिशंषा के अनुसार नाथद्वारा नगर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर रहवास योग्य समतल भूमि का हो रहे विकास के कारण, अमाव हैं। अतः पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसमर्ति से लिया गया हैं-

- आवेदित भूमि नाथद्वारा से बास्तोल जाने वाली सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 80 फीट प्रस्तावित है। परन्तु पूर्व में 100 फीट मार्गाधिकार अनुसार राय प्रेषित किये जाने के कारण 100 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। अतः रास्ते के मध्य से 50 की दूरी में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क संदर्भित की जानी होगी।
- योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानविक्री का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग से कराया जाना होगा, ताकि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी नवीन नियिंयों की सुनिश्चिता की जा सके।
- योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी_वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
- योजना का क्षेत्रफल 2 हैं। से अधिक है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार योजना के विक्रय योग्य आवासीय क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भूमि EWS/LIG हेतु आरक्षित रखी जानी होगी। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग के आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क वी जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
- योजना में ठोस कचरा की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि पर नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :-

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा पार्क, खुले स्थल खेल के मैदान, सामुदायिक सुविधाएँ मध्य राजकीय/अद्वराजकीय कार्यालयों हेतु भू-उपयोगों का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अतः नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की समितियों के नियिंयों में एकरूपता रखे जाने की दृष्टि से उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अनुमोदन पर विचार नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय पिकाय
राज्यान्वय सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बष्टम बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं.61 / डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/नाथद्वारा

शहर कर्त्ते का नाम	नाथद्वारा
1. आवेदक का नाम	श्री दयाशंकर पुत्र श्री भेरुलाल श्रीमाली
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम गुजोल के खसरा नं. 1430/203 रक्बा 02-15-00 बीघा (0.6956 हैक्टेयर में से 0.1169 हैक्टेयर)
3. क्षेत्रफल	0.1169 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	औद्योगिक
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैद्य है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में औद्योगिक क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 22.11.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि नाथद्वारा मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क पर स्थित है।</p> <p>2. अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र में दिनांक 12.12.2015 को प्रकाशित करायी गई। निर्धारित समयावधि में आपत्ति के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>3. अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। औद्योगिक क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 25.04.2016 द्वारा आवेदित भूमि का औद्योगिक क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
9. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का औद्योगिक क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष परिषयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा की अभिशंषा के अनुरूप नाथद्वारा नगर के धार्मिक महत्व एवं भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के आवागमन से नगर में Economic Services/Infrastructure की आवश्यकता के वृद्धिगत औद्योगिक क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

1. आवेदित भूमि नाथद्वारा मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क पर स्थित है। अतः सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन में, प्राचलित भवन विनियम के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊंचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी होगी, तथा भवन मानविक्री का अनुमोदन Single Window Clearance System के तहत Online Building Plan Approval पद्धति से किया जावेगा।
3. भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी. वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
4. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

X/18/10

बरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय दिन:

महाराष्ट्र राज्य उदयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठी बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 62 / डीएलबी / एसटीपी / यूडीजेड / नाथद्वारा

शहर कर्से का नाम	नाथद्वारा
1. आवेदक का नाम	श्री दोलतराम पुत्र श्री नारायणलाल
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम मोडवा के खसरा नं. 310 रक्बा 00-18-00 बिस्वा
3. क्षेत्रफल	0.2198 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 22.11.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि नाथद्वारा से पावटी बाग जाने वाले राजस्व मार्ग पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 27.06.2014 को प्रकाशित करायी गई। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंशा की है। उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 26.02.2016 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंशा की गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंशा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया क्षत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा की अभिशंखा के अनुरूप नाथद्वारा नगर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर रहवास योग्य समतल भूमि का हो रहे विकास के कारण, अभाव हैं। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थल के आसपास हो रहे विकास को सुनियाजित ढंग से नियंत्रित किये जाने एवं आवास की आवश्यकता के दृष्टिगत परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

- आवेदित भूमि नाथद्वारा से पावटी बाग जाने वाले राजस्व मार्ग पर रित्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी तक सड़क की सीमा में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
 - योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
 - योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी. यि. राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
 - योजना का क्षेत्रफल 2 है, से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
 - योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की वृद्धि से उक्त स्थल की रित्थि योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईंकिलंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
 - नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
 - मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
 - उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :— समिति का निर्णय अनुमोदित।

三

बरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय पिमाग
संघ समिति प्रशासन उपपर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठ्म बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

अति. एजेण्डा नं. 75 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/नाथद्वारा

शहर कर्वे का नाम	नाथद्वारा
1. आवेदक का नाम	श्रीमती गुलामी पल्लि रूपलाल मेघवाल एवं रूपलाल पुत्र श्री दोला मेघवाल
2. खसरा नं. /भूखण्ड नं. मय	राजस्व ग्राम उपली ओडन के खसरा नं. 2524 /2447 ग्राम कॉलोनी
3. क्षेत्रफल	1.01 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैद्य है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 22.11.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि बांसोला से ओडन जाने वाले मार्ग पर स्थित हैं, मास्टर प्लान अनुसार जिसका मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित हैं, किन्तु पूर्व में स्वीकृत योजनाओं हेतु उक्त सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट निर्धारित किया गया है। अतः सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई 100 फीट है।</p> <p>2. अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में दिनांक 21.08.2014 को प्रकाशित करायी गई।</p> <p>3. अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशापा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 05.07.2016 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशापा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशापा के परिपक्ष में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा की अभिशापा के अनुरूप आवेदित भूमि के आसपास आवासीय योजना अनुमोदित हैं, तथा नाथद्वारा नगर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर रहवास योग्य समतल भूमि का हो रहे विकास के कारण, अभाव है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थल के आसपास हो रहे विकास को सुनियोजित ढंग से नियंत्रित किये जाने एवं आवास की आवश्यकता के दृष्टिगत परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

- आवेदित भूमि बांसोला से ओडन जाने वाले मार्ग पर स्थित हैं, मास्टर प्लान अनुसार जिसका मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित हैं, किन्तु पूर्व में स्वीकृत योजनाओं हेतु उक्त सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट निर्धारित किया गया है। अतः सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई 100 फीट है। अतः सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
- योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
- योजना में आन्तरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टि. वि. राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
- योजना का क्षेत्रफल 1 है, से अधिक किन्तु 2 है, से कम है। अतः शहरी क्षेत्र के आवासहीन ग्रीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 300 वर्गमीटर भूमि नगर निकाय के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। इस भूमि पर निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से ऐन बसेंगा का निर्माण किया जावेगा। योजना का क्षेत्रफल 2 है, से कम है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार 2 है। से कम की स्वतंत्र आवासीय योजना में सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा कराई जानी होगी। चूंकि योजना में प्रार्थी से 300 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ऐन बसेंगा हेतु छुड़वाई जा रही है। अतः 10 प्रतिशत भूमि में से 300 वर्गमीटर भूमि के क्षेत्रफल को घटाते हुये शेष भूमि की ही राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
- योजना में ठोस कचरा निरस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं ऐन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।


बरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विन
 राजस्वालय संकाय, उदयपुर

एजेण्डा नं. 63 / डीएलबी / एसटीपी / यूडीजेड / राजसमन्द

शहर कर्खे का नाम	राजसमन्द
1. आवेदक का नाम	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0, राजसमन्द
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजसव ग्राम आसोटिया के खसरा नं. 1489 / 299 रकबा 19 बिस्वा
3. क्षेत्रफल	0.1538 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	पार्क, खुला स्थल, खेल के मैदान
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि राजसमन्द नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में पार्क, खुला स्थल, खेल के मैदान दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 07.04.2013 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि राजसमन्द से कांकरोली जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है।</p> <p>2. प्रश्नगत भूमि नगर परिषद, राजसमन्द के स्वामित्व की होने से अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0, राजसमन्द को आवाटित की गई है।</p> <p>3. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 21.05.2016 के अनुसार भूमि सार्वजनिक सुविधायें (पब्लिक यूटीलिटी) बाबत भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम स्तर पर होने के उपरान्त ही नियमानुसार आवटन किया जाना उचित बताया।</p>
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 3 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिषेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का पार्क, खुला स्थल, खेल के मैदान से सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्वय की अभियंशा के अनुरूप भू-आवंटन निति-2015 के प्रावधानों की सुनिश्चिता के तहत पार्क, खुला स्थल, खेल के मैदान से सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय सर्वसम्मिति से लिया गया है।

राज्य सरकार का निर्णय :— समिति का निर्णय अनुमोदित।

Xanthia

वरिष्ठ नगर नियोजक निदेशालय स्थानीय निकाय पिंडा राजस्थान सरकार जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की षष्ठ्म बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 64 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/राजसमन्द

शहर करबे का नाम	राजसमन्द
1. आवेदक का नाम	जिला आयुर्वेदिक विभाग राजसमन्द
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम धोईन्दा के खसरा नं. 3539 / 37, रकबा 15 बिस्चा
3. क्षेत्रफल	0.1210 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि राजसमन्द नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 07.04.2013 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि जिस सड़क पर स्थित है उसका मार्गाधिकार 60 फीट चौड़ा है।</p> <p>2. प्रश्नगत भूमि नगर परिषद, राजसमन्द के स्वामित्व की होने से जिला आयुर्वेदिक विभाग, राजसमन्द को आवंटित की गई है।</p> <p>3. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 11.05.2016 द्वारा आवेदित भूमि का आवासीय से सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समरत 3 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवासीय से सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :-— समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द की अभिशंषा के अनुरूप भू-आवंटन निति-2015 के प्रावधानों की सुनिश्चिता के तहत आवासीय से सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग

राजसमन्द नगर परिषद, उदयपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की षष्ठी बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेण्डा नं. 65 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/राजसमन्द

शहर करवे का नाम	राजसमन्द
1. आवेदक का नाम	जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजसमन्द
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम गुडली के खसरा नं. 203 रकबा 03-11-00 बीघा भूमि में से 1975 वर्गमीटर भूमि
3. क्षेत्रफल	0.1975 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	व्यावसायिक एवं आंशिक भाग आवासीय
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द के स्वामित्व की भूमि है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि राजसमन्द नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में व्यावसायिक एवं आंशिक भाग आवासीय दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 07.04.2013 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि भीलवाड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग के उत्तर दिशा में स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान-2031 के अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि के पूर्व व उत्तर दिशा में 30-30 फीट चौड़े मार्ग दर्शित है।</p> <p>2. जिला नगर नियोजन, राजसमन्द के पत्र दिनांक 16.05.2016 द्वारा आवेदित भूमि को व्यावसायिक एवं आंशिक भाग आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गयी है।</p>
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 2 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का व्यावसायिक एवं आंशिक भाग आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द की अभिशंषा के अनुरूप भू-आवंटन निति-2015 के प्रावधानों की सुनिश्चिता के तहत व्यावसायिक एवं आंशिक भाग आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।


वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय राजनीय निकाय पिन्ड:
 राजसमन्द उपनगर, उदयपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेंडा नं. 66 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

शहर करबे का नाम	सलूम्बर
1. आवेदक का नाम	श्री उदा पुत्र श्री चोखा मीणा
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम लकापा के खसरा नं. 1496/1298 मीन, व 1497/1301 मीन, 1498/1302 मीन कुल रकबा 0.07338 हैक्टेयर
3. क्षेत्रफल	0.07338 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्टी
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्र की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्टी दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि उदयपुर जाने वाले राज्य राजमार्ग संख्या-32 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। उक्त मार्गाधिकार के पश्चात 50 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23.07.2015 को प्रकाशित कराई गई एवं संशोधित आपत्ति सूचना प्रातःकाल में दिनांक 17.12.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 22.04.2016 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. विशेष विवरण:-	<p>यद्यपि सड़क एवं वृक्षारोपण पट्टी से आवेदक की भूमि लगती हुयी तथापि आवेदित स्थल एवं सड़क के मध्य खसरा नं. 1301 से सहमति लिया जाना आवश्यक होगा।</p> <p><u>प्रस्ताव :-</u></p> <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर की अभिशंषा के अनुरूप सलूम्बर नगर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर रहवास योग्य समतल भूमि का हो रहे विकास के कारण, अभाव हैं। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थल के आसपास हो रहे विकास को सुनियोजित ढंग से नियंत्रित किये जाने एवं आवास की आवश्यकता के दृष्टिगत परिधि नियन्त्रण क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया हैं—

- आवेदित भूमि उदयपुर जाने वाले राज्य राजमार्ग संख्या-32 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। उक्त मार्गाधिकार के पश्चात 50 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 100 फीट की दूरी में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी, तथा 50 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/03/2010/पार्ट-।। दिनांक 25.03.2013 अनुसार निर्माण अनुज्ञय नहीं होगा।
- योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
- योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.सपटी.वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
- योजना का क्षेत्रफल 2 है। से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
- योजना में ठोस कवरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कवरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्र की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।


वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
 राजस्थान राज्य, उदयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बष्टम बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण

एजेंडा नं. 67 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

शहर कर्बे का नाम	सलूम्बर
1. आवेदक का नाम	1. श्री हरीश पुत्र श्री लालू जी मेघवाल 2. श्री दशरथ पुत्र श्री मार्गीलाल मेघवाल
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	1. राजस्व ग्राम दुदर के ख.नं. 1308, 1309/1, 1311 मीन, 1312 मीन, रकबा 0.29 है। 2. राजस्व ग्राम दुदर के खसरा नं. 1309 मीन, 1310 मीन, 1314/1/1, कुल किटा 3 रकबा 0.29 हैकटेर
3. क्षेत्रफल	0.58 हैकटेर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 06.02.2007 से लाग है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमियों के खसरे एक साथ है। आवेदित भूमियों प्रस्तावित बाईपास के उत्तर दिशा से लगती हुई है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 200 प्रस्तावित है जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है। आवेदित भूमियों के पश्चिम दिशा में राजस्व रस्ता है जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.07.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग 'ब' में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 20.11.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जौन, उदयपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर की अभिशंषा के अनुरूप सलूम्बर नगर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर रहवास योग्य समतल भूमि का हो रहे विकास के कारण, अभाव हैं। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थल के आसपास हो रहे विकास को सुनियोजित ढंग से नियन्त्रित किये जाने एवं आवास की आवश्यकता के दृष्टिगत परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय निम्न शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से लिया गया है:-

- आवेदित भूमियों के खसरे एक साथ है। आवेदित भूमियों प्रस्तावित बाईपास के उत्तर दिशा से लगती हुई है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 200 प्रस्तावित है जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है। आवेदित भूमियों के पश्चिम दिशा में राजस्व रस्ता है जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। अतः 200 फीट सड़क के मध्य से 100 फीट में आने वाली भूमि तथा 60 फीट सड़क के मध्य से 30 फीट में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
- योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी, तथा योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। दोनों आवेदकों की भूमियों का ले-आउट प्लान इण्टीग्रेशन करते हुये अनुमोदन किया जावेगा।
- योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा, तथा निवेशालय के आदेश क्रमांक एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी.वि.राय/15/215-33 दिनांक 20.04.2016 की पालना की जावेगी, ताकि नगर के Green Coverage क्षेत्र में वृद्धि हो सके।
- योजना का क्षेत्रफल 2 है से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
- योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं रैन वाटर हॉर्सिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

X/145-A
वरिष्ठ नगर नियोजक
निवेशालय स्थानीय निकाय प्रिमा.
राजस्वान् १०.८८, उदयपुर

अति. एजेण्डा नं. 76/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

शहर कर्खे का नाम	सलूम्बर
1. आवेदक का नाम	श्री देवा पिता मानाजी मीणा
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कारगेटा के खसरा नं. 38 मीन, 38/1, 39 40 मीन, 40/1, 41 मीन, 41/1, 42 मीन, 42/1, 43 मीन, 43/1, 44 मीन, 44/1, 45 मीन, 45/1
3. क्षेत्रफल	0.86 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि पर पहुंच मार्ग हेतु राजस्व रास्ता मिलता है, जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। आवेदक श्री देवीलाल पिता हरजी मीणा की भूमि राजस्व ग्राम कारगेटा के खसरा नं. 46 से 50 क्षेत्रफल 0.96 हैक्टेयर पास में लगती हुयी है, तथा मौके पर दोनों भूमियों में सड़कों का इण्टीग्रेशन करते हुये आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी हैं, जो कि एक ही आवासीय योजना प्रतीत होती हैं।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रकरण संख्या 1 एवं 2 हेतु एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.06.2016 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा दोनों प्रकरणों हेतु क्रमशः पत्र क्रमांक 1584 व 1586 दिनांक 14. 07.2016 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमियों का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंषा के परिषेष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमियों का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों आवेदकों की भूमियां आसपास में हैं, तथा मौके पर दोनों भूमियों में सड़कों का इण्टीग्रेशन करते हुये आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी हैं, जो कि एक ही आवासीय योजना प्रतीत होती हैं। अतः प्रकरण में नगर के समग्र विकास एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार की नितियों की पालना सुनिश्चित की जाने के दृष्टिगत दोनों योजनाओं का इण्टीग्रेशन कर एक ही योजना प्रस्तावित किया जाना उचित होगा। प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया, कि दोनों आवेदकों की भूमियां आसपास में हैं, तथा मौके पर दोनों भूमियों में सड़कों का इण्टीग्रेशन करते हुये आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी हैं, जो कि एक ही आवासीय योजना प्रतीत होती हैं। अतः प्रकरण में नगर के समग्र विकास एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार की नितियों की पालना सुनिश्चित की जाने के दृष्टिगत दोनों योजनाओं का इण्टीग्रेशन कर एक ही आवेदन के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

X/2/18/1

वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय प्रिमाय
 उदयपुर द्वारा दिल्ली, नियमानुसार

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की बष्टम् बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

अति. एजेण्डा नं. 77 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

शहर कर्ये का नाम	सलूम्बर
1. आवेदक का नाम	श्री देवीलाल पिता हरजी मीणा
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कारगेटा के खसरा नं. 46 से 50
3. क्षेत्रफल	0.96 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1-प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि पर पहुंच मार्ग हेतु राजस्व रास्ता मिलता है, जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। आवेदित भूमि के पास आवेदक श्री देवा पिता मानाजी मीणा राजस्व ग्राम कारगेटा के खसरा नं. 38 मीन, 38/1, 39 40 मीन, 40/1, 41 मीन, 41/1, 42 मीन, 42/1, 43 मीन, 43/1, 44 मीन, 44/1, 45 मीन, 45/1 क्षेत्रफल 0.86 हैक्टेयर की भूमि पास में स्थित है, तथा मौके पर दोनों भूमियों में सङ्कों का इण्टीग्रेशन करते हुये आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी हैं, जो कि एक ही आवासीय योजना प्रतीत होती हैं।</p> <p>2.अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रकरण संख्या 1 एवं 2 हेतु एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.06.2016 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3.अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंख भाग 'ब' में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4.उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा दोनों प्रकरणों हेतु क्रमशः पत्र क्रमांक 1584 व 1586 दिनांक 14. 07.2016 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमियों का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंख की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंख के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमियों का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों आवेदकों की भूमियां आसपास में हैं, तथा मौके पर दोनों भूमियों में सङ्कों का इण्टीग्रेशन करते हुये आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी हैं, जो कि एक ही आवासीय योजना प्रतीत होती हैं। अतः प्रकरण में नगर के समग्र विकास एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार की नितियों की पालना सुनिश्चित की जाने के दृष्टिगत दोनों योजनाओं का इण्टीग्रेशन कर एक ही योजना प्रस्तावित किया जाना उचित होगा। प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>
शहर कर्ये का नाम	सलूम्बर
1. आवेदक का नाम	श्री देवीलाल पिता हरजी मीणा
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कारगेटा के खसरा नं. 46 से 50
3. क्षेत्रफल	0.96 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1-प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि पर पहुंच मार्ग हेतु राजस्व रास्ता मिलता है, जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। आवेदित भूमि के पास आवेदक श्री देवा पिता मानाजी मीणा राजस्व ग्राम कारगेटा के खसरा नं. 38 मीन, 38/1, 39 40 मीन, 40/1, 41 मीन, 41/1, 42 मीन, 42/1, 43 मीन, 43/1, 44 मीन, 44/1, 45 मीन, 45/1 क्षेत्रफल 0.86 हैक्टेयर की भूमि पास में स्थित है, तथा मौके पर दोनों भूमियों में सङ्कों का इण्टीग्रेशन करते हुये आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी हैं, जो कि एक ही आवासीय योजना प्रतीत होती हैं।</p> <p>2.अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रकरण संख्या 1 एवं 2 हेतु एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.06.2016 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3.अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंख भाग 'ब' में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4.उप नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा दोनों प्रकरणों हेतु क्रमशः पत्र क्रमांक 1584 व 1586 दिनांक 14. 07.2016 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमियों का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंख की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों, नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की स्पष्ट अभिशंख के परिपेक्ष्य में तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमियों का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों आवेदकों की भूमियां आसपास में हैं, तथा मौके पर दोनों भूमियों में सङ्कों का इण्टीग्रेशन करते हुये आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी हैं, जो कि एक ही आवासीय योजना प्रतीत होती हैं। अतः प्रकरण में नगर के समग्र विकास एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार की नितियों की पालना सुनिश्चित की जाने के दृष्टिगत दोनों योजनाओं का इण्टीग्रेशन कर एक ही योजना प्रस्तावित किया जाना उचित होगा। प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :-— समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया, कि दोनों आवेदकों की भूमियां आसपास में हैं, तथा मौके पर दोनों भूमियों में सङ्कों का इण्टीग्रेशन करते हुये आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी हैं, जो कि एक ही आवासीय योजना प्रतीत होती हैं। अतः प्रकरण में नगर के समग्र विकास एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार की नितियों की पालना सुनिश्चित की जाने के दृष्टिगत दोनों योजनाओं का इण्टीग्रेशन कर एक ही आवेदन के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया है:-

राज्य सरकार का निर्णय :-— समिति का निर्णय अनुमोदित।


वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
 राजस्थान राज्य, जबलपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की षष्ठी बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेण्डा नं. 71 /डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/उदयपुर

शहर कस्बे का नाम	उदयपुर
1. आवेदक का नाम	श्री राजेश्वरी देवी पति श्री गजेन्द्र सिंह
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	भूखण्ड संख्या 58, सरदारपुरा, उदयपुर
3. क्षेत्रफल	0.1941 है.
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि उदयपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 24.09.2013 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि के सामने 40'-8" से 49'-5" चौड़ा मार्गाधिकार उपलब्ध है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई। नियारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर द्वारा आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंखा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 28.03.2016 में मौके पर उक्त आवेदित भूखण्ड के मुख्य सड़क का मार्गाधिकार 40'-8" से 49'-5" तक चौड़ी सड़क है। अतः व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उक्त प्रकरण में मौके की स्थिति के परिपेक्ष में सड़क का मार्गाधिकार बाबत् राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करते हुये प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों की सुनिश्चिता अपने स्तर पर करते हुये अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होना बताया गया है। कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंखा की गई है। अतः राज्य स्तरीय सक्षमता में होने के कारण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में नगरीय निकाय द्वारा प्रकरण प्रेषित किया गया है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल स्थानीय अधिकारिता का है, तथा मास्टर प्लान को लागू हुये भी 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रकरण में सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट से कम है। अतः प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 22.07.2010 के अनुसार गठित कमेटी में निर्णय लिया जाकर आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार किये जाने हेतु निकाय स्तर पर निर्णय लिया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जौन, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर की अभिशंखा के अनुरूप तथा बैठक में उपरिस्थित उपायुक्त नगर निगम, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर निगम स्तर पर शिथिलता समिति के आदेश नहीं हैं। इस संबंध में बैठक में उपरिस्थित अन्य अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया, कि भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के तहत जारी आदेशों अनुसार शिथिलता समिति प्रभावी हैं। अतः आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल स्थानीय अधिकारिता का है, तथा मास्टर प्लान को लागू हुये भी 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रकरण में सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट से कम है। अतः प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 के अनुसार गठित कमेटी में निर्णय लिया जाकर आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार किये जाने हेतु निकाय को प्रकरण विशेष में अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः स्थानीय स्तर पर गठित समिति पर प्रकरण को प्रस्तुत किया जाकर भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किये जाने हेतु निकाय स्तर पर निर्णय लिया जावें।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

[Signature]

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय प्रिसा.
राजस्थान राज्य, उदयपुर

**नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की बष्टम बैठक दिनांक 18.07.2016 की बैठक कार्यवाही विवरण**

एजेंडा नं. 72/डीएलबी/एसटीपी/यूटीजेड/उदयपुर

शहर कस्बे का नाम	उदयपुर
1. आवेदक का नाम	श्री जगन्नाथ शर्मा पुत्र श्री वासुदेव
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	भूखण्ड संख्या 16, अमल कांटा, सूरजपोल, उदयपुर
3. क्षेत्रफल	0.139 है.
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5. प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि उदयपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में आवासीय दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 24.09.2013 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि कालाजी गौरा से सूरजपोल जाने वाली सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार सर्वे प्लान के अनुसार 45.5 फीट से 78.25 फीट दर्शाया गया है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 11.09.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर द्वारा आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 23.12.2015 अनुसार आवेदित भूखण्ड के सामने तिराहा बनता है, परन्तु उक्त तिराहा तक की पहांच सड़कों की चौड़ाई 60 फीट से कम होने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होना बताया गया है। अतः राज्य स्तरीय सक्षमता में होने के कारण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में नगरीय निकाय द्वारा प्रकरण प्रेषित किया गया है।</p>
8. प्रस्ताव :-	प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल स्थानीय अधिकारिता का है, तथा मास्टर प्लान को लागू हुये भी 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रकरण में सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट से कम है। अतः प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 22.07.2010 के अनुसार गठित कमेटी में निर्णय लिया जाकर आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार किये जाने हेतु निकाय स्तर पर निर्णय लिया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर तथा आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप तथा बैठक में उपस्थित उपायुक्त नगर निगम, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर निगम स्तर पर शिथिलता समिति के आदेश नहीं हैं। इस संबंध में बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया, कि भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के तहत जारी आदेशों अनुसार शिथिलता समिति प्रभावी हैं। अतः आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल स्थानीय अधिकारिता का है, तथा मास्टर प्लान को लागू हुये भी 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रकरण में सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट से कम है। अतः प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 22.07.2010 के अनुसार गठित कमेटी में निर्णय लिया जाकर आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किये जाने हेतु निकाय स्तर पर निर्णय लिया जावें।

राज्य सरकार का निर्णय :- समिति का निर्णय अनुमोदित।

अमित शर्मा

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय दिनांक
राजस्थान सरकार, उदयपुर